(c) if so, the reasons for the inordinate delay; and

(d) the number of plots that will be allotted and by what time this will be done?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKAR): (a) Yes, Sir. Applications were invited *vide* Press Note dated 14th January, 1977 from displaced persons from former East Pakistan (now Bangladesh) who are gainfully employed in Delhi and had lived in Delhi for not less than 4 years after partition and upto 31st March, 1966. The last date of receipt of applications was 31st March, 1977.

(b) Out of about 1600 applications received, more than 800 have already been scrutinised by the Allotment Committee. Applicants would be informed after all the applications have been scrutinised.

(c) Scrutiny of such a large number of applications takes time.

(d) 82 plots (including 8 plots which are involved in a court case and have not yet been developed) are available for allotment. After completion of the scrutiny which is expected to be completed by December, 1977, draw of lots will be held thereafter as soon as possible.

आदिवासी क्षेत्रों के लिये सिंचाई योजनाओं के बारे में राज्यों से प्रस्ताव

82. **श्री लक्ष्मण राव मानकर** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई योजनाओं के लिए राज्यों से प्रस्ताव मांगे गये हैं ;

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा कितनी योजनायें भेजी गयी हैं और उन पर कितना खर्च आयेगा ; और

(ग) इन योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जा रहा है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) राज्य सरकारों से सिंचाई स्कीमों के प्रस्ताव नहीं मांगे गये थे किन्तु उनसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए उप-योजनाएं, जिसमें सिंचाई सहित सभी क्षेत्र शामिल हों, तैयार करने के लिए कहा गया था । उनसे आदिवासी क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के वास्ते सिंचाई की व्यापक योजनाएं (मास्टर प्लान) तैयार करने के लिए भी कहा गया था ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार की गई उप-योजना में पांचवीं योजना की अवधि के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में लघु सिंचाई स्कीमों के लिए 16.77 करोड़ रुपये की राशि शामिल है ।

(ग) महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्र की उपयोजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई के लिए पांचवीं योजना के दौरान विशिष्ट केन्द्रीय सहायता 2.10 करोड़ रुपये तक की होगी ।

Land Distribution to Harijans and Adivasis

83. SHRI SANTOSHRAO GODE: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Harijans and Adivasis who had been allotted land under the various Land Ceiling Acts in different States recently have been ejected from their lands; and

(b) if so, the action taken by Government to restore those lands to the ejected Harijans and Adivasis?